उत्तराखण्ड राज्य

Department of General Administration
Uttarakhand Secretariat, 4-Subhash Marg,
Dehradun-248 001,Uttarakhand

मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार

(वर्ष 2021–22)

श्रेणी–I कियान्वयन स्तर (व्यक्तिगत)

दिशा–निर्देश

उद्देश्य : किसी संस्थान में नियोक्ता द्वारा अच्छे कार्य की पहचान एक महत्वपूर्ण प्रेरक होता है। यह न केवल पुरस्कार विजेता का मनोबल बढ़ाता है, बल्कि प्रतिष्ठान के अन्य सदस्यों को भी अपने कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए प्रेरित करता है। यह पुरस्कार संस्थानों में बेहतर कार्य संस्कृति को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए हैं।

2. **पात्रता** : (क) राज्य सरकार के सभी नियमित कार्मिक आवदेन करने के लिए पात्र होंगे।

3. **कार्मिकों द्वारा पुरस्कार के लिए आवेदन** : पात्र कार्मिक निर्धारित प्रारूप पर तथ्यों और समर्थित अभिलेखों सहित स्वयं सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15 सितम्बर, 2022 होगी।

4. **मूल्यांकन किए जाने वाले कार्य की समय अवधि** : 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक है। गत 3 वर्षों के अंतर्गत किये गये किसी ऐसे अभिनव कार्यों के लिए की गयी पहल को भी सम्मिलित किया जा सकता है, जो गत वर्ष भी कियान्वित हो रही हो।

5. **नामांकन और स्क्रीनिंग मूल्यांकन के लिए मानदण्ड** : सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा गठित समिति पात्र कार्मिकों से प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच और मूल्यांकन करेगी।

निम्नलिखित मानदण्डों के अनुसार प्राप्त आवेदन पत्रों का मूल्यांकन किया जायेगा:–

(क) हितधारकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कियान्वित किया गया अभिनव विचार/योजना/ परियोजना इत्यादि।

(ख) प्रकियाओं/प्रणालियों/संस्थानों के निर्माण में जनसाधारण द्वारा महसूस किया जा सकने वाला सुधार लाना।

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को विशेष रूप से प्रौद्योगिकी तकनीक के इस्तेमाल से जन सामान्य के लिए जिम्मेदार, पारदर्शी और दक्ष बनाना।

(घ) आकस्मिक परिस्थितियों, आपदाओं, जैसे भूस्खलन, भूकम्प, बाढ़ आदि के लिए पूर्व तैयारी और उच्च कोटि का कार्य प्रदर्शन।

(ड़) समान परिस्थितियों में उपरोक्त योजना/विचारों में स्थिरता (sustainability)/ प्रतिबद्धता/दोहराये जाने की क्षमता/प्रतिकृति।

(च) परिणामों की मापकता (Measurability)।

6. चयन प्रकिया : विशेषज्ञ समिति प्राप्त आवेदन पत्रों का उचित मूल्यांकन और परीक्षण कर सूचीबद्ध करेगी तथा मूल्यांकन के आधार पर 1:3 के अनुपात में उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करके उनके कार्यों के प्रस्तुतिकरण के लिए आमंत्रित करेगी। विशेषज्ञ समिति सम्बन्धित कार्मिक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख (नामांकन/आवेदन के साथ) एवं प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन करके कार्मिकों की मैरिट लिस्ट उच्च स्तरीय समिति को विचारार्थ प्रेषित करेगी।

7. सर्वश्रेष्ठ नामांकन का चयन : मुख्य सचिव की अध्यक्षता और दो अपर मुख्य सचिवों की सदस्यता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति कार्मिकों की मैरिट लिस्ट में से तीन सर्वश्रेष्ठ कार्मिकों की सूची अपनी संस्तुति के साथ मा0 मुख्यमंत्री जी को अंतिम निर्णय हेतु प्रस्तुत करेगी। सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन समिति के पदेन सदस्य के रूप में कार्य करेंगें। मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा पुरस्कार हेतु सर्वश्रेष्ठ कार्मिक का अंतिम रूप से चयन किया जाएगा।

8. पुरस्कार प्रदान करने की प्रकिया : चयनित अधिकारी/कर्मचारी को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तय की गई प्रक्रिया के अनुसार "मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार (2021–22)" से सम्मानित किया जाएगा।

आवेदन–पत्र प्रारूप का नमूना

"मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार"

(वर्ष 2021–22)

(श्रेणी I : क्रियान्वयन स्तर) (व्यक्तिगत)

महत्वपूर्ण नोट : विचार किये जाने के लिए क्रियान्वयन की अवधि 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 ।

1. कृपया आवेदक का विवरण दर्ज करें :–

क : आवेदक का नाम :–
ख : पदनाम और विभाग/संगठन :–
ग : विभाग/संस्थान के विभागाध्यक्ष का नाम :–
घ : कार्यालय का पता :–
ङ : कार्यालय का फोन :–
च : मोबाइल नं0 :–
छ : फैक्स नं0 :–
ज : ई–मेल

2. कृपया नीचे दिए गए उपशीर्षक (subheads) के तहत की गयी पहल/कार्यों के बारे में विवरण प्रस्तुत करें :–

क : विभाग/प्रतिष्ठान जहाँ पहल/कार्य क्रियान्वित किया गया :
ख: कृपया अपनी पहल/योगदान का संबंधित उपशीर्षकों में वर्णन कीजिए।
(आप एक या अधिक विकल्प को चिन्हित कर सकते हैं। (अधिकतम 500 शब्द)

1. पर्यावरण संरक्षण
2. आपदा प्रबंधन
3. जल संरक्षण
4. ऊर्जा
5. शिक्षा
6. स्वास्थ्य सेवायें
7. महिला एवं बाल सशक्तिकरण
8. अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)

(ग) प्रारम्भ/क्रियान्वित किये जाने का दिनाँक ।
(घ) योजना/पहल का संक्षिप्त विवरण (अधिकतम 200 शब्द)
(ड़) पहल/योजना के परिणामस्वरूप प्रभाव/लाभ/(outcome) परिणाम (अधिकतम 200 शब्द)

3. क्या परिकल्पित लाभों की वास्तविकता की जाँच के लिए किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा पहल के परिणाम या प्रभाव का ऑडिट या मूल्यांकन किया गया है? **हाँ / नहीं**
   यदि हाँ तो कृपया संक्षिप्त विवरण प्रदान करें (अधिकतम 100 शब्द)
4. क्या यह योजना/कार्य किसी अन्य राज्य स्तरीय/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा स्थापित किसी अन्य पुरस्कार (पुरस्कारों) का विजेता था :– **हाँ / नहीं** .....
   यदि हाँ तो कृपया संक्षिप्त विवरण दें। (अधिकतम 100 शब्द)
5. कृपया योजना/पहल/कार्य उद्देश्यों का विवरण प्रदान करें। (यदि कोई हो) और उन उद्देश्यों की उपलब्धियां कैसे प्राप्त की। (अधिकतम 200 शब्द)
6. पहल/कियान्वित योजना/कार्यों का संक्षिप्त विवरण निम्न उपशीर्षक में अंकित करें (अधिकतम 750 शब्द)

   (क) कियान्वित किया गया अभिनव विचार/योजना/ परियोजना इत्यादि ने हितधारकों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया।

   (ख) प्रकियाओं/प्रणालियों/संस्थानों के निर्माण में जनसाधारण द्वारा महसूस किया जा सकने वाला सुधार।

   (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को विशेष रूप से प्रौद्योगिकी तकनीक के इस्तेमाल से जन सामान्य के लिए कैसे जिम्मेदार, पारदर्शी एवं दक्ष बनाया गया।

   (घ) आकस्मिक परिस्थितियों, आपदाओं, जैसे भूस्खलन, भूकम्प, बाढ़ आदि के लिए पूर्व तैयारी और उच्च कोटि का कार्य प्रदर्शन।

   (ड़) समान परिस्थितियों में उपरोक्त योजना/विचारों में स्थिरता (sustainability)/प्रतिबद्धता दोहराये जाने की क्षमता/प्रतिकृति।

   (च) परिणामों की मापकता (Measurability)।

7. उपरोक्त योजना/कार्य/पहल से लाभान्वित लाभार्थियों की सूचना उपलब्ध करायें (नाम, पता, दूरभाष संख्या आदि)
8. अन्य दस्तावेज/फोटोग्राफ्स/वीडियो इत्यादि, यदि कोई हों, तो उपलब्ध करायें (अधिकतम 10)

मैं .....प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी और विवरण सत्य है।

- आवेदक का नाम : हस्ताक्षर.....
- पदनाम :
- स्थान :
- दिनांक :

अंकन और मूल्यांकन की योजना

1. निम्नलिखित मानदण्डों के आधार पर आवेदन पत्रों के मूल्यांकन के लिए विचार किया जायेगाः–

   (क) हितधारकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कियान्वित किया गया अभिनव विचार/योजना/ परियोजना इत्यादि।

   (ख) प्रक्रियाओं/प्रणालियों/संस्थानों के निर्माण में जनसाधारण द्वारा महसूस किया जा सकने वाला सुधार लाना।

   (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को विशेष रूप से प्रौद्योगिकी तकनीक के इस्तेमाल से जन सामान्य के लिए जिम्मेदार, पारदर्शी और दक्ष बनाना।

   (घ) आकस्मिक परिस्थितियों, आपदाओं, जैसे भूस्खलन, भूकम्प, बाढ़ आदि के लिए पूर्व तैयारी और उच्च कोटि का कार्य प्रदर्शन।

   (ड़) समान परिस्थितियों में उपरोक्त योजना/विचारों में स्थिरता (sustainability)/ प्रतिबद्धता/दोहराये जाने की क्षमता/प्रतिकृति।

   (च) परिणामों की मापकता (Measurability)।

2. कार्मिकों के नामांकन का मूल्यांकन विशेषज्ञ समिति 01 से 10 के संख्यात्मक रेटिंग पैमाने पर सभी मानदण्डों को पृथक–पृथक रूप से अंकित करेगी। इस पैमाने के माध्यम से सामान्य कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के साथ–साथ नवाचार/उत्कृष्ट और उत्कृष्ट तरीके से काम करने/ समय प्रबंधन/ प्रौद्योगिकी/ दृष्टिकोण /काम के प्रति समर्पण का मूल्यांकन करना है। यहां '01' से '10' बढ़ते क्रम में होगा।

3. इस बात पर प्रकाश डाला जाना चाहिए कि इस कार्य ने सार्वजनिक प्रशासन/आम जनता के कल्याण पर कैसे प्रभाव डाला है। विशेषज्ञ समिति किसी से भी फीडबैक ले सकती है, जैसा भी समिति उचित समझे। समिति नामांकन/आवेदन का मूल्यांकन करेगी, जिसमें कार्यों का महत्व, न्याय, निर्णय लेने के सभी अधिकार विशेषज्ञ समिति में निहित होंगे।

4. उचित मूल्यांकन और परीक्षण के बाद, विशेषज्ञ समिति प्राप्त नामांकन/आवेदन पत्रों को सूचीबद्ध करेगी। उम्मीदवारों को विशेषज्ञ समिति के सामने उनके कार्यों की प्रस्तुति के लिए बुलाया जाएगा। प्रस्तुति को '01' से '10' तक की रेटिंग की संक्षिप्त योजना के अनुसार समिति द्वारा रेट किया जाएगा।

5. चयनित उम्मीदवारों के लिए कुल प्राप्तांक की गणना अंत में की जाएगी।

एक उम्मीदवार के कुल अंक = (नामांकन आलेख (write-up) के 50% अंक तथा प्रस्तुतिकरण के 50% अंक के रूप में कुल अंकों की गणना की जाएगी।